सं०- 90/2026/439/35-1-2026

प्रेषक

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन
नियोजन विभाग
उ०प्र० लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 28 अप्रैल, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में राज्य भूमि उपयोग परिषद (नियोजन विभाग) हेतु राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "2402-मृदा तथा जल संरक्षण-103-भूमि सुधार तथा विकास-04-राज्य भूमि उपयोग परिषद" हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-88.65 लाख (रुपये-अट्ठासी लाख पैसठ हजार मात्र) को सुसंगत इकाइयों के अन्तर्गत वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय में व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्डस आफ फाइनेंनसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।
3. उक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखा जाना मात्र, किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च 2026 में दिए गए निर्देशों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशानुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

सं०-90/2026/439(1)/35-1-2026 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, स्टेट ट्रान्सफार्मेशन कमीशन, उ०प्र०, लखनऊ ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० शासन ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन ।
7. नियोजन लेखा अनुभाग ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 90/2026/439/35-1-2026 दिनांक: 28 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

अनुदान सं०-40

(धनराशि लाख रूपये में)

कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
01	02	03
	भूमि उपयोग परिषद	(राजस्व)
01	वेतन	45.00
03	मंहगाई भत्ता	29.25
04	यात्रा व्यय	0.50
06	अन्य भत्ते	1.00
08	कार्यालय व्यय	0.50
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.50
13	टेलीफोन पर व्यय	0.10
42	अन्य व्यय	0.50
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.10
45	अवकाश यात्रा व्यय	0.50
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफटवेयर का क्रय	3.00
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्ससम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00
49	चिकित्सा व्यय	3.50
50	महंगाई वेतन	0.10
51	वर्दी व्यय	0.60
55	मकान किराया भत्ता	2.50
	(राजस्व पक्ष) योग	88.65

(रूपये अठठासी लाख पैसठ हजार मात्र)

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।